प्रेस नोट
दिनांक 04.04.2025

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जुम्मे की नमाज के दृष्टिगत स्वयं शहर क्षेत्र में भ्रमणकर कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति का लिया जायजा, ड्यूटीरत पुलिस कर्मियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश –

गोण्डा। आज दिनांक 04.04.2025 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा पर्याप्त पुलिस बल के साथ जुम्मे की नमाज के दृष्टिगत जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु शहर क्षेत्र के संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार भ्रमणशील/पैदल गस्त कर नमाज को शान्ति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सकुशल संपन्न गया।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा शहर क्षेत्र के विभिन्न मस्जिदों आदि स्थानों पर पैदल गश्त/भ्रमण कर धर्मगुरूओं, नमाजियों, आमजन एवं राहगीरों से वार्ता कर सुरक्षा का एहसास कराया गया। यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारीगण को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल का समुचित व्यवस्थापन, स्थानीय अभिसूचना इकाई द्वारा नजर रखी गई, सादे वस्त्रों में भी पुलिसकर्मी एवं महिला पुलिस की संयुक्त टीमों को लगाया गया। मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा एवं ड्रोन कैमरा से निगरानी रखी गई। सोशल मीडिया सेल द्वारा लगातार सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्म (ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप आदि) की निगरानी की गई। पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्रों में पड़ने वाली मस्जिदों पर पर्याप्त पुलिस बल की ड्यूटी लगाकर जुम्मे की नमाज को सकुशल सम्पन्न कराया गया।

इस दौरान निरी0 प्रज्ञान,प्रभारी निरीक्षक को0नगर सहित पर्याप्त संख्या में पुलिस बल के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे ।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 04.04.2025

थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा 03 दहेज हत्याभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के नेतृत्व में थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–44/25, धारा 85,115(2),352,351(2)(3),80 बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित 03 आरोपी अभियुक्तों–01. अरूण कुमार शुक्ला(पति), 02. भगवानदास शुक्ला (ससुर), 03. सावित्री देवी(सास) को ग्राम पिपरा भिटौरा से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 02.04.2025 को वादी अनन्त राम मिश्रा पुत्र स्व0 भगौती प्रसाद मिश्रा नि0 तुरकाडीहा थाना को0 देहात जनपद गोण्डा द्वारा थाना मोतीगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी पोती की शादी 05 वर्ष पूर्व ग्राम पिपरा भिटौरा घरूक पुरवा के रहने वाले अरूण कुमार शुक्ला के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही मेरी पोती को उसके पति व परिजनों द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था तथा दिनांक 02.04.2025 को दहेज की मांग के चलते हुए प्रताड़ित करते हुए जान से मार दिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोतीगंज में नामजद 04 अभियुक्तों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 04.04.2025 को थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा प्राप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर 03 आरोपी अभियुक्तों–01. अरूण कुमार शुक्ला (पति), 02. भगवानदास शुक्ला (ससुर), 03. सावित्री देवी (सास) को ग्राम पिपरा भिटौरा से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. अरूण कुमार शुक्ला पुत्र भगवानदास शुक्ला नि0 घरूक विरवा मौजा पिपरा भिटौरा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।
02. भगवानदास शुक्ला पुत्र स्व0 रामदुलारे नि0 घरूक विरवा मौजा पिपरा भिटौरा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।
03. सावित्री देवी पत्नी भगवानदास शुक्ला नि0 घरूक विरवा मौजा पिपरा भिटौरा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–44/25, धारा 85,115(2),352,351(2)(3),80 बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. प्र0नि0 अनीता यादव थाना मोतीगंज।
02. उ0नि0 नीरज कुमार।
03. हे0का0 अशोक कुमार यादव।
04. म0का0 दिपा राणा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 04.04.2025

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा गो तस्करी करने वाले 02 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–101/25, धारा 352,351(3) बीएनएस, 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11(1) पशु क्रूरता अधि0 से सम्बन्धित 02 आरोपी अभियुक्तों–01. विन्देश सिंह पुत्र अवधेश सिंह, 02. मन्नू सिंह पुत्र तारकनाथ निवासीगण ग्राम महंगूपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को सेमरा शेखपुर पुल के पास स्थित बगिया से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 02 अदद गोवंश बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

वादी श्री शांत प्रकाश दुबे पुत्र अशोक दुबे निवासी ग्राम महंगूपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना नवाबगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 01.04.2025 की रात्रि करीब 11 बजे गांव के ही विन्देश सिंह पुत्र अवधेश सिंह व मन्नू सिंह पुत्र तारकनाथ द्वारा अपने अन्य 02 अज्ञात साथियों के साथ मिलकर एक अर्धनिर्मित मकान में लगे पिलर व पेड़ में छुट्टा जानवरों को बांध रखे थे तथा रात्रि में पिकअप लाकर उस पर जानवरों को पीटकर बेरहमी से लाद कर ले गए तथा मना करने पर गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी गयी है। सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घटना का निरीक्षण किया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। जिसमें थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए 24 घण्टे के अन्दर 02 आरोपी अभियुक्तों–01. विन्देश सिंह पुत्र अवधेश सिंह, 02. मन्नू सिंह पुत्र तारकनाथ को सेमरा शेखपुर पुल के पास स्थित बगिया से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 02 अदद गोवंश बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. विन्देश सिंह पुत्र अवधेश सिंह नि0 ग्राम महंगूपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
02. मन्नू सिंह पुत्र तारकनाथ नि0 ग्राम महंगूपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोगः–

01. मु0अ0सं0–101/25, धारा 352,351(3) बीएनएस, 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11(1) पशु क्रूरता अधि0 थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 02 अदद गोवंश।

गिरफ्तार कर्ता टीमः–

01. उ0नि0 उत्कर्ष पाण्डेय।
02. हे0का0 सुनील यादव।
03. हे0का0 योगेन्द्र नाथ यादव।
04. का0 अभिषेक यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।